अध्याय-VI : राज्य आबकारी

6.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व) राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख हैं । विभाग के प्रमुख आबकारी आयुक्त हैं । विभाग सात संभागों में विभक्त है जिनके प्रमुख अतिरिक्त आबकारी आयुक्त हैं । जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक, आबकारी शुल्क एवं अन्य शुल्कों के आरोपण/संग्रहण की देखरेख तथा नियंत्रण का कार्य संबंधित संभागों के अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों के नियंत्रणाधीन करते हैं ।

6.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के अधीन एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है । इस समूह को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के साथ समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए, निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप तथा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार कर निर्धारण के प्रकरणों की नमूना जांच करनी होती है ।

गत पांच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार हैः

वर्ष	बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान जोड़ी गई इकाइयां	कुल इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयों का प्रतिशत
2013-14	7	41	48	42	6	13
2014-15	6	41	47	47	0	0
2015-16	0	41	41	37	4	10
2016-17	4	41	45	40	5	12
2017-18	5	44	49	12	37	75

स्रोतः संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ।

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि वर्ष 2017-18 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु चयनित इकाइयों में से 37 इकाइयों की लेखापरीक्षा बकाया थी ।

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार हैः

वर्ष	1994-95 से 2012-13 तक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	योग
अनुच्छेद	102	78	85	175	212	20	**672**

स्रोतः संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ।

यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 के अन्त तक 672 अनुच्छेद बकाया थे जिनमें से 102 अनुच्छेद पांच वर्षों से भी अधिक समय से बकाया थे । बड़ी मात्रा में अनुच्छेदों का बकाया रहना आन्तरिक लेखापरीक्षा के उद्देश्य को विफल करता है ।

सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने तथा अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने एवं राजस्व की छीजत को रोकने के लिये बकाया अनुच्छेदों पर समुचित कार्यवाही करने पर विचार करना चाहिए।

6.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

आबकारी विभाग में कुल 110 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 30 इकाइयां वर्ष 2017-18 में लेखापरीक्षा हेतु चुनी गई । इन इकाइयों के अभिलेखों जिनमे खुदरा अनुज्ञापत्र (3,357 अनुज्ञापत्र) भी सम्मिलित है की संवीक्षा में 4,828 प्रकरण आबकारी शुल्क व अनुज्ञापत्र शुल्क, स्पेशल वेन्ड फीस, विलंब से भुगतान पर ब्याज की अवसूली/कम वसूली, और प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की हानि और अन्य अनियमितताओं से संबंधित राशि ₹ 14.38 करोड़ (2,823 अनुज्ञापत्र, लेखापरीक्षा किये गये अनुज्ञापत्रों का लगभग 84 प्रतिशत) के ध्यान में आये। ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं क्योंकि ये चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जांच पर आधारित है । कुछ समान प्रकार की कमियां लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व के वर्षों में भी ध्यान में लायी गई थी लेकिन लेखापरीक्षा करने तक ये अनियमितताएं न केवल विद्यमान थी अपितु पहचानी भी नहीं गई थी। लेखापरीक्षा में पायी गयी त्रुटियों, कमियों व अन्य प्रकरणों से संबंधित सारभूत अंशों (नमूना प्रकरणों के लगभग 84 प्रतिशत) से विदित होता है कि सरकार को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षा को सशक्त करने की आवश्यकता है जिससे कि कमियों के होने/पुनरावृत्तियों को रोका जा सके। ये अनियमितताएं मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैः

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली	3,654	12.15
2	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर पर स्पेशल वेण्ड फीस की अवसूली/कम वसूली	479	1.52
3	प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि	313	0.36
4	विलम्ब से भुगतान पर ब्याज की अवसूली	37	0.21
5	अन्य अनियमिततायें		
	(i) राजस्व	343	0.14
	(ii) व्यय	2	0.00
योग		**4,828**	**14.38**

विभाग ने 3,859 प्रकरणों में ₹ 13.43 करोड़ की अनियमिततायें स्वीकार की, जिसमें से ₹ 11.62 करोड़ के 3,189 प्रकरण वर्ष 2017-18 में लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग द्वारा 742 प्रकरणों में ₹ 2.37 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसमें से ₹ 0.66 करोड़ के 75 प्रकरण वर्ष 2017-18 में लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा तीन प्रकरणों में ड्राफ्ट पैरा जारी किये जाने के पश्चात् विभाग द्वारा राशि ₹ 1.95 करोड़ की वसूली की गई। इन अनुच्छेदों की प्रतिवेदन में चर्चा नहीं की गई है।

उदाहरणस्वरूप कुछ प्रकरण राशि ₹ 4.80 करोड़ पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

6.4 मदिरा और बीयर के अंतिम स्टॉक पर आबकारी शुल्क की अंतर राशि का अनारोपण

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर पर आबकारी शुल्क वसूलनीय है। राज्य सरकार ने मदिरा और बीयर पर आबकारी शुल्क की दरें अधिसूचित की (1 अप्रैल 2014)। उसके बाद 1 अप्रैल 2016 से दरें संशोधित की गई थी। अप्रैल 2016 से लागू होने वाले संशोधन के संदर्भ में आबकारी आयुक्त ने जिला आबकारी अधिकारियों को 31 मार्च 2016 को मदिरा और बीयर के अन्तिम स्टॉक पर आबकारी शुल्क और फीस की अंतर राशि वसूल करने हेतु निर्देशित (24 फरवरी 2016) किया।

विभाग से एकत्रित आंकड़ों की जांच से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2016 को 32 जिला आबकारी अधिकारियों के क्षेत्राधिकार के तहत 737 खुदरा अनुज्ञाधारियों के पास मदिरा/बीयर का अन्तिम शेष था। इस अन्तिम स्टॉक पर आबकारी शुल्क की अंतर राशि ₹ 2.98 करोड़ वसूल की जानी चाहिए थी। तथापि, अंतर राशि की मांग ना तो संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा की गई और ना ही अनुज्ञाधारियों द्वारा इसे स्वतः जमा कराया गया। हमने यह भी देखा कि अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु इनकी निगरानी नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप, आबकारी शुल्क की अन्तर राशि ₹ 2.98 करोड़ की अवसूली रही।

प्रकरण सरकार को बताया गया (दिसम्बर 2017 और मई 2018)। सरकार ने जवाब दिया (जुलाई 2018) कि राशि ₹ 0.33 करोड़ की वसूली कर ली गयी है और शेष राशि की वसूली हेतु सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (फरवरी 2019)।

6.5 परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों से फीस की कम वसूली

राजस्थान आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के अनुसार, देशी मदिरा दुकानों का बन्दोबस्त आवेदन आमंत्रित कर एकाकी विशेषाधिकार राशि[1] पर किया गया था। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान देशी मदिरा दुकानों के अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने हेतु जिलेवार आवेदन आमंत्रित करने के लिए, संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा जिले में प्रस्तावित देशी मदिरा की दुकानों/समूहों की संख्या, उनकी एकाकी विशेषाधिकार राशि, कम्पोजिट फीस, अमानत राशि और आवेदन शुल्क को सम्मिलित करते हुये सूचनाऐं प्रसारित की गई थी। यह जानकारी विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई थी। दुकानों के लिए अनुज्ञापत्र लॉटरी प्रणाली के माध्यम से प्रदान किये गये थे। चयनित आवेदक उस दुकान की श्रेणी के अनुसार एकाकी विशेषाधिकार राशि और कम्पोजिट फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रत्येक दुकान *ग्राम पंचायत* के नाम से जानी जाती थी।

उपरोक्त नीति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र की देशी मदिरा दुकानों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। नगरीय सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में अवस्थित गावों की देशी मदिरा

[1] एकाकी विशेषाधिकार राशिः आबकारी विभाग द्वारा देशी मदिरा समूहों/दुकानों से विशिष्ट क्षेत्र में मदिरा के व्यापार के विशेष अधिकार हेतु वसूल की गई राशि एकाकी विशेषाधिकार राशि कहलाती है।

दुकानों को 'परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों' के रूप में वर्गीकृत किया गया था । इन परिधीय क्षेत्र में आने वाले गांवों को आगे 'ए' एवं 'बी' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था । वे गांव जिनमें वर्ष 2005-06 से दुकान आवंटन के गत वर्ष तक देशी मदिरा की दुकानें कम्पोजिट दुकानों की तरह संचालित की गई हो अथवा गांव, राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित हो अथवा गांव, जिनकी सीमा संबंधित नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगती हो, उन्हें 'ए' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था और शेष को 'बी' श्रेणी में । वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए 'ए' श्रेणी की दुकानों की कम्पोजिट फीस, राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड की गत वर्ष की वार्षिक बिलिंग राशि का क्रमशः पांच प्रतिशत और छः प्रतिशत के बराबर अथवा संबंधित नगरीय क्षेत्र में अवस्थित भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकान हेतु निर्धारित वार्षिक अनुज्ञाशुल्क में से जो भी अधिक हो, निर्धारित की जानी थी । वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए 'बी' श्रेणी की दुकानों की कम्पोजिट फीस, राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड की गत वर्ष की वार्षिक बिलिंग राशि का क्रमशः पांच प्रतिशत और छः प्रतिशत के बराबर अथवा संबंधित नगरीय क्षेत्र की भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकान हेतु निर्धारित वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का 50 प्रतिशत अथवा ₹ 50,000 में से जो भी अधिक हो, निर्धारित की जानी थी ।

सात जिला आबकारी अधिकारियों[2] के वर्ष 2015-16 और 2016-17 के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि विभाग द्वारा 18 देशी मदिरा दुकानों/समूहों को परिधीय क्षेत्र की दुकानों के रूप में वर्गीकृत किया गया था । अनुज्ञाशुल्क पत्रावलियों और संबंधित अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि परिधीय क्षेत्र की 12 देशी मदिरा दुकानों/समूहों[3] के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करते समय संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने वसूलनीय कम्पोजिट फीस की सही राशि के बजाय कम्पोजिट फीस की कम राशि प्रस्तावित की । शेष छः देशी मदिरा दुकानों/समूहों[4] के लिए, संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने सही कम्पोजिट फीस प्रकट की लेकिन बाद में कम राशि की वसूली की गयी । इन दुकानों में से तीन[5] दुकानों को जिला आबकारी अधिकारी, कोटा ने परिधीय क्षेत्र की 'ए' श्रेणी के स्थान पर 'बी' श्रेणी में वर्गीकृत किया, इस तथ्य के बावजूद कि गांव जहां वर्गीकृत दुकानें अवस्थित थी, वो राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित थे ।

इस प्रकार, संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने अनुज्ञाधारियों से परिधीय क्षेत्र की 18 कम्पोजिट दुकानों/समूहों की कम्पोजिट फीस की सही राशि ₹ 2.29 करोड़ के बजाय केवल ₹ 0.96 करोड़ की वसूली की गयी । इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.33 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

प्रकरण सरकार को बताया गया (अगस्त 2017 और मई 2018) । सरकार ने जवाब दिया (अगस्त 2018) कि ₹ 3.20 लाख की वसूली कर ली गई थी और शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिय गये हैं । आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (फरवरी 2019) ।

---

[2] जिला आबकारी अधिकारीः अजमेर, अलवर, जयपुर शहर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर ।

[3] बुबानी, बुझडा, चंगेडी, देवास, डुमाडा, मातौर, नाई, नान्दला, रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर, शयोसिंहपुरा और तास्वलसर ।

[4] गोदल्याहेड़ी, हिरियास्वेड़ी, स्वीमच, मानसगांव, मंडा और बुद्धस्वान ।

[5] बुद्धस्वान, गोदल्याहेड़ी और हिरियास्वेड़ी ।

6.6 बार अनुज्ञापत्रों की स्वीकृति में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट ऑफ रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापत्र) नियम, 2004 के नियम 3(2) और 3(3) के अनुसार, रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापत्र के लिए प्रत्येक आवेदन ठीक प्रकार से हस्ताक्षरित होगा और वर्ष या उसके किसी भाग के लिए देय प्रारम्भिक और न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस आवेदन के साथ संलग्न होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमों के नियम 3(5) के अनुसार, आवेदन को अन्तिम आदेशों के लिए सम्बन्धित अतिरिक्त आबकारी आयुक्त के माध्यम से आबकारी आयुक्त को प्रेषित करने से पूर्व प्रकरण को, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आबकारी आयुक्त समिति की सिफारिशों पर अनुज्ञापत्र प्रदान करेगा। आवेदकों के लिए आबकारी आयुक्त ने आवेदन पत्रों के साथ जमा करने के लिए, चैक-लिस्ट निर्धारित कर परिपत्र जारी किए (9 अप्रैल 2010 और 29 अप्रैल 2015)। आबकारी आयुक्त ने जिला आबकारी अधिकारियों को बार अनुज्ञापत्रों के आवेदनों का 30 दिनों के भीतर निपटान किये जाने हेतु निर्देशित किया। यदि किसी आवेदक द्वारा चैक-लिस्ट में अपेक्षित सम्पूर्ण सूचना प्रेषित नही की गई, तो उसका आवेदन सम्बन्धित जिला आबकारी द्वारा प्रारम्भिक चरण में ही अस्वीकार कर दिया जाना था।

आबकारी आयुक्त कार्यालय में वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान जारी बार अनुज्ञापत्रों की पत्रावलियों की नमूना जांच में यह देखा गया कि अनुज्ञापत्र निर्धारित समयावधि 30 दिनों के बाद जारी किये गये थे। यह भी देखा गया कि वर्ष 2014-15 के तीन प्रकरणों और 2015-16 के दो प्रकरणों में उसी वर्ष रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापत्रों को जारी करने में विभाग असफल रहा। अभिलेखों में इस देरी के कारण नहीं पाये गये। इस विलम्ब के कारण, विभाग ने इन प्रकरणों में अनुज्ञापत्र अगले वर्ष में जारी किये और इसीलिए पिछले वर्ष में निर्धारित फीस का संग्रह नही कर सका। इस प्रकार विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 33.50 लाख के राजस्व की हानि हुई जैसा कि नीचे वर्णित है:

क्र.सं.	अनुज्ञाधारी का नाम	होटल की श्रेणी	अनुज्ञापत्र संख्या	आवेदन की दिनांक वर्ष जिसके लिए आवेदन किया	अनुज्ञापत्र स्वीकृति की दिनांक वर्ष जिसके लिए स्वीकृत किया	लिया गया समय (दिनों में)	राजस्व हानि (₹ लाखों में)
1	होटल सांचल फोर्ट एण्ड रिसोर्ट, बाड़मेर	सामान्य श्रेणी अन्य जिला मुख्यालय	07/2015-16	26.11.2014 2014-15	25.6.2015 2015-16	211	6.00
2	होटल सांई लक्ष्मी पैलेस, ट्रांसपोर्ट नगर, सिरोही	सामान्य श्रेणी अन्य जिला मुख्यालय	31/2015-16	18.6.2014 2014-15	15.1.2016 2015-16	576	6.00
3	चौधरी रेस्टोरेंट, चिड़ावा	अन्य नगरपालिका, झुंझुंनू	41/2016-17	18.4.2014 2014-15	15.3.2017 2016-17	1,060	8.50
4	मत्स्य फूड्स एण्ड ब्रेवरेजेज, अलवर	अन्य जिला मुख्यालय, अलवर	09/2016-17	20.6.2015 2015-16	20.5.2016 2016-17	333	5.00
5	पंजाब दा पुत्तर, जयपुर	जयपुर मुख्यालय	13/2016-17	2.7.2015 2015-16	15.7.2016 2016-17	377	8.00
योग							**33.50**

प्रकरण सरकार को बताया गया (जुलाई 2017 और मई 2018)। सरकार ने जवाब दिया (अगस्त 2018) कि एक प्रकरण[6] में जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने अपना प्रतिनिधि नामांकित नही किया और दूसरे प्रकरण[7] में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोधपुर संभाग का पद रिक्त होने के कारण निरीक्षण नही हो सका। शेष प्रकरणों[8] के सम्बन्ध में, विभाग ने इन तथ्यों को स्वीकार किया कि आवेदनों को प्रारम्भिक चरण में चैक-लिस्ट के अनुसार जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति किये बिना उच्च प्राधिकारियों को अग्रेषित किया गया था।

उत्तर इन प्रकरणों में निगरानी की कमी को दर्शाता है क्योंकि प्रथम प्रकरण को आबकारी आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र (अप्रैल 2010) के अनुदेशों के अनुसार अन्तिम रूप देने की आवश्यकता थी, जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि समिति के सदस्य दो बार आमन्त्रित करने के बाद भी निरीक्षण के लिये उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनकी सहमति स्वतः स्वीकार मानी जायेगी। दूसरे प्रकरण में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोधपुर संभाग का तत्समय प्रभार लेने वाले अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए था। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए, आबकारी कार्यालयों में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदनों की प्राप्ति, निपटान और नियंत्रण की उचित प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। यह प्रणाली प्राधिकारियों को, अनुज्ञापत्र जारी करने में समयबद्धता का पालन की निगरानी करने में सक्षम होनी चाहिए ताकि संभावित राजस्व के रिसाव को रोका जा सके।

6.7 खुदरा अनुज्ञापत्र के लिए फीस का अनारोपण

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 69 के उप नियम (1) के अनुसार खुदरा अनुज्ञाधारियों को बीयर की बिक्री पर ₹ 2.00 प्रति बल्क लीटर[9] की दर से 'खुदरा अनुज्ञापत्र के लिए फीस' (फीस) वसूलनीय है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बीयर पर फीस न तो *मैसर्स कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट* के खुदरा विक्रेताओं द्वारा जमा करायी गई थी और न ही विभाग द्वारा मांग की गई। वर्ष 2011-12 से 2014-15 की अवधि के लिए इस तथ्य पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-7 (राजस्थान सरकार) के अनुच्छेद संख्या 6.5 के रूप में मुद्रित थी। प्रतिक्रिया में विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि *मैसर्स कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट* से वसूली हेतु कार्यवाही शुरू की जा रही है। विभाग अगस्त 2016 में इस तथ्य से अवगत था और इसीलिए एक दूरदर्शी कार्यवाही के रूप में मार्च 2015 के बाद भी *मैसर्स कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट* से फीस के आरोपण और वसूली के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु जिला आबकारी अधिकारीयों को निर्देशित किया जाना चाहिए था।

तथापि अभिलेखों की नवीनतम मापक जांच (सितम्बर 2017 और जनवरी 2018 के मध्य) के दौरान यह देखा गया कि विभाग ने *मैसर्स कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट* से फीस के आरोपण और वसूली की कार्यवाही केवल मार्च 2015 तक की अवधि के लिए ही प्रारम्भ की। इनके द्वारा मार्च 2015 के बाद की अवधि के लिए फीस के आरोपण और वसूली हेतु प्रयास नहीं किया गया।

---

[6] होटल सांचल फोर्ट एण्ड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, महाबार, बाड़मेर।

[7] होटल सांई लक्ष्मी पैलेस, सिरोही।

[8] *चौधरी रेस्टोरेन्ट, चिड़ावा, मत्स्य फूड्स एण्ड ब्रेवरेजेज, अलवर और पंजाब दा पुत्तर, जयपुर।*

[9] बी.एल. का अभिप्राय बल्क लीटर से है, मात्रा के संदर्भ में एक लीटर या 0.219 गैलन के बराबर सामग्री की मात्रा।

जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर और जयपुर शहर के क्षेत्राधीन *मैसर्स कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट* से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2017 और जनवरी 2018 के मध्य) के दौरान यह देखा गया कि *मैसर्स कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट* ने अप्रैल 2015 से फरवरी 2017 के दौरान राज्य में अपनी रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों (यूनिट रन कैन्टीन्स) को 7.73 लाख बल्क लीटर[10] बीयर का विक्रय किया । तथापि, निर्धारित फीस को न तो *मैसर्स कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट* के खुदरा विक्रेताओं द्वारा जमा कराया गया और न ही विभाग द्वारा मांग की गई । इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 15.46 लाख की फीस का अनारोपण/अवसूली रही ।

प्रकरण सरकार को बताया गया (अक्टूबर 2017 और जून 2018) । सरकार ने जवाब दिया (जुलाई 2018) कि ₹ 0.93 लाख की वसूली कर ली गई है और शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गए हैं । आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (फरवरी 2019) ।

[10] 7.73 लाख बल्क लीटरः जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेरः 4.58 लाख बल्क लीटर और जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहरः 3.15 लाख बल्क लीटर ।